भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 824

07 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादों की ब्रांडिंग

824. श्रीमती संध्या राय:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वैश्विक बाजार में इस्पात क्षेत्र के उत्पादों के लेबल लगाने और उनकी ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा मेक इन इंडिया के विजन को बढ़ावा देने और भारत को विश्व के विनिर्माण केन्द्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए की गई अन्य पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस्पात के उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य की क्या भूमिका है और सरकार द्वारा इस्पात उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) और (ख): जी हां। इस्पात उत्पादों की ब्रांडिंग में क्यूआर कोड के साथ मेड इन इंडिया लेबल के माध्यम से घरेलू इस्पात उत्पादों की लेबलिंग करने का प्रावधान है, जिसमें घरेलू इस्पात उत्पादों और निर्यात के लिए विनिर्मित इस्पात, दोनों के लिए उत्पादों का विवरण शामिल है।

(ग) और (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका नीतिगत दिशानिर्देशों को तैयार करने और इस्पात उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु संस्थागत प्रणाली/तंत्र की स्थापना करने की है। हालांकि, सरकार ने 'मेक इन इंडिया' के विजन को बढ़ावा देने, भारत को विश्व ''विनिर्माण केंद्र'' के रूप में प्रोत्साहित करने और इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए है:

(i) राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 की अधिसूचना, जिसमें भारतीय इस्पात उद्योग की मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों के दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत रूपरेखा दी गई है।

जारी....2-

(ii) सरकारी खरीद में घरेलू रूप से विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति की अधिसूचना।

(iii) घरेलू रूप से उत्पन्न इस्पात स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति की अधिसूचना।

(iv) घरेलू एवं निर्यात बाजारों को गुणवत्तापूर्ण इस्पात उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को अधिसूचित किया गया।

(v) देश में विशेष इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना।

(vi) भारतीय इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कारोबारी सुधारात्मक उपायों के अंशांकन (कैलिब्रेशन) के साथ इस्पात उत्पादों तथा कच्चे माल पर आधारभूत सीमा शुल्क में समायोजन।

(vii) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्योग संघों और घरेलू इस्पात उद्योग सहित विभिन्न हितधारकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए उनके साथ विचार-विमर्श।

(viii) देश में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श।

विगत 5 वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में क्रूड इस्पात के उत्पादन और क्षमता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	**क्षमता ('000 टन में)**	**उत्पादन ('000 टन में)**
2018-19	555	506
2019-20	553	438
2020-21	457	369
2021-22	987	569
2022-23	877	644
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)		

*****